



उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग,
रायपुर-थानो रोड, नियर महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज,
देहरादून।

वेबसाइट—www.sssc.uk.gov.in

E- mail: chayanayog@gmail.com

फोन न० 0135-2669658

फैक्स न० 0135-2672902

विज्ञापन संख्या: 42/उ0अ0से0च0आ0/2021

दिनांक: 28 दिसम्बर, 2021

चयन हेतु विज्ञापन

उत्तराखण्ड पुलिस विभाग के अन्तर्गत आरक्षी संवर्ग के जनपदीय पुलिस (पुरुष) के रिक्त 785 पदों, पी0ए0सी0/आई0आर0बी0 (पुरुष) के 291 पदों तथा फायरमैन (पुरुष/महिला) के 445 पदों अर्थात कुल 1521 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु विज्ञापन।

नोट: रिक्तियों की संख्या बढ़ायी या घटायी जा सकती है।

विज्ञापन प्रकाशन की तिथि	28.12.2021
ऑनलाइन आवेदन की प्रारम्भ तिथि	03.01.2022
ऑनलाइन आवेदन की अन्तिम तिथि	16.02.2022
लिखित परीक्षा का अनुमानित समय	जून 2022

उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा उत्तराखण्ड पुलिस विभाग के अन्तर्गत आरक्षी संवर्ग के जनपदीय पुलिस (पुरुष) के रिक्त 785 पदों, पी0ए0सी0/आई0आर0बी0 (पुरुष) के 291 पदों तथा फायरमैन (पुरुष/महिला) के 445 पदों अर्थात कुल 1521 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु ऑनलाइन आवेदन-पत्र आमन्त्रित किए जाते हैं। इच्छुक अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर दिनांक 16.02.2022 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

आयोग द्वारा OTR (One Time Registration) को अनिवार्य किया गया है। अभ्यर्थियों को आवेदन करने से पूर्व OTR भरना अनिवार्य है। OTR में दर्ज की गई जानकारी या डेटा आवेदन पत्र का भाग बनेगा, अतः आवेदन-पत्र भरने के पूर्व OTR को अत्यंत सावधानी पूर्वक भरें। आवेदन-पत्र भरने के पूर्व OTR की जानकारी को OTR के Edit विकल्प में जाकर संशोधित कर लें। हर प्रकार से त्रुटिरहित OTR होने पर ही आवेदन-पत्र भरना प्रारम्भ करें। आवेदन पत्र भर जाने व Submitt button पर Click करने के उपरांत इस आवेदन पत्र के लिए OTR में संशोधन संभव नहीं होगा। त्रुटिपूर्ण OTR तथा त्रुटिपूर्ण आवेदन-पत्र के कारण अभिलेख सत्यापन के समय अभ्यर्थन निरस्त किया जा सकता है। OTR भरने में सहायता के लिए **Toll free no. 9520991172** या **WhatsApp no.- 9520991174** या आयोग की **e-mail Id: chayanayog@gmail.com** पर सम्पर्क कर सकते हैं।

उपयुक्त अभ्यर्थियों के चयन हेतु आयोग द्वारा अभ्यर्थियों की वस्तुनिष्ठ प्रकार की Offline अथवा Online परीक्षा आयोजित करायी जा सकती है। प्रतियोगी परीक्षा के संबंध में उपरोक्त समय अनुमानित है एवं परीक्षा की तिथि की सूचना यथासमय पृथक से आयोग की वेबसाइट, दैनिक समाचार पत्रों में प्रेस विज्ञापित तथा अभ्यर्थियों को उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन-पत्र में दिये गये मोबाइल नम्बर पर SMS तथा ई-मेल द्वारा भी उपलब्ध करायी जाएगी। अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट से ही डाउनलोड कर सकेंगे। आयोग द्वारा डाक के माध्यम से प्रवेश पत्र निर्गत नहीं किये जायेंगे।

* अभ्यर्थी आवेदन पत्र भरने से पूर्व विज्ञप्ति के सभी प्राविधान व शर्तें तथा अन्त में दिए गए निर्देशों को भलीभाँति अवश्य पढ़ लें।

1. पदनाम— उत्तराखण्ड पुलिस आरक्षी(पुरुष)/आरक्षी पी.ए.सी./आई.आर.बी.(पुरुष)

(i) रिक्तियों का विवरण एवं क्षेत्रीय आरक्षण की स्थिति :-

क्र० सं०	पद कोड	पदनाम/विभाग का नाम	श्रेणी	रिक्त पद	क्षेत्रीय आरक्षण के अन्तर्गत रिक्त पदों की संख्या				
					DFP (02%)	Ex (05%)	Orphan (05%)	HG (05%)	Others
1.	355/648/42/2021	उत्तराखण्ड आरक्षी पुलिस (पुरुष) (पुलिस विभाग)	अ०जा०	149	03	07	07	07	125
			अ०ज०जा०	31	01	02	02	02	24
			अ०पि०व०	110	02	05	05	05	93
			आ०क०व०	79	02	04	04	04	65
			सामान्य	416	08	21	21	21	345
			योग	785	16	39	39	39	652
2.	355/648/42/2021	उत्तराखण्ड आरक्षी पी.ए.सी./आई.आर.बी. (पुरुष) (पुलिस विभाग)	अ०जा०	55	01	03	03	03	45
			अ०ज०जा०	12	—	01	01	01	09
			अ०पि०व०	41	01	02	02	02	34
			आ०क०व०	29	01	01	01	01	25
			सामान्य	154	03	08	08	08	127
			योग	291	06	15	15	15	240

नोट: कार्मिक विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या: 589/कर्मिक-2/2002 दिनांक 21 जून 2002 के अनुसार "ऐसे विभाग जहाँ कुल पदों में महिलाओं/पुरुषों के लिए पृथक से पद चिन्हित हैं, उन पदों में महिलाओं हेतु 30 प्रतिशत क्षेत्रीय आरक्षण की व्यवस्था लागू नहीं होगी।"

(ii) वेतनमान:- ₹0 21700—₹0 69100 (लेवल-03)

(iii) पद का स्वरूप:- अराजपत्रित/स्थायी/अंशदायी पेंशनयुक्त।

(iv) शैक्षिक अर्हता:- (क) उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् रामनगर, नैनीताल द्वारा मान्य "इंटरमीडिएट परीक्षा" उत्तीर्ण या उसके समकक्ष अर्हता होनी चाहिए।

(v) शारीरिक अर्हताएं:-

(क) ऊँचाई:-

सामान्य/अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम	165 से०मी०
पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम	160 से०मी०
अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम	157.5 से०मी०

नोट: शारीरिक मानकों में छूट के लिए अनुमन्यता से संबंधित प्रमाण-पत्र (यथा अनुसूचित जनजाति या पर्वतीय क्षेत्र का प्रमाण-पत्र) धारित होना चाहिए।

(ख) सीने की माप:-

	बिना फुलाये	फुलाने पर
सामान्य/अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए	78.8 से०मी०	83.8 से०मी०
पर्वतीय क्षेत्र/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए	76.3 से०मी०	81.3 से०मी०

नोट:-सीने में कम से कम 05 से०मी० का फुलाव आवश्यक है।

पर्वतीय क्षेत्र का निर्धारण:- देहरादून: पूरी चकराता तहसील तथा राजपुर की ऊंचाई से ऊपर गंगा तथा यमुना नदियों के मध्य स्थित देहरादून तहसील के उत्तर तथा पूर्व में स्थित मसूरी पहाड़ी का क्षेत्र। नैनीताल तथा गढ़वाल, कोटद्वार सहित सब माउन्टेन सड़क के ऊपर का क्षेत्र पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चमोली, टिहरी गढ़वाल तथा उत्तरकाशी जिलों के संपूर्ण भाग।

नवसृजित जनपद बागेश्वर, रुद्रप्रयाग एवं चंपावत का संपूर्ण भाग भी इससे पूर्व में क्रमशः जनपद अल्मोड़ा, चमोली एवं पिथौरागढ़ का भाग होने के कारण पर्वतीय क्षेत्र माना जायेगा।

(vi) शारीरिक दक्षता परीक्षण :-

शारीरिक दक्षता परीक्षा निम्न विवरणानुसार कुल 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को प्रत्येक आईटम में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है, जो अभ्यर्थी किसी भी आईटम में 50 प्रतिशत अंक से कम अंक प्राप्त करेगा उसे उसी स्तर से अयोग्य घोषित कर परीक्षा से बाहर कर दिया जायेगा:-

क्र०सं०	इवेंट का नाम	दूरी/समय	अंक		
1.	किकेट बाल श्रो (पूर्णांक 20)	50 मीटर	10		
		55 मीटर	12		
		60 मीटर	14		
		65 मीटर	16		
		70 मीटर	20		
2.	लम्बी कूद (पूर्णांक 20)	13 फिट	10		
		14 फिट	12		
		15 फिट	14		
		16 फिट	16		
		17 फिट	18		
3.	चिनिंग-अप (बीम) (पूर्णांक 20) (अभ्यर्थी अन्डर ग्रिप/ओवर ग्रिप, जो चाहे कर सकता है)	5 बार छूना	10		
		7 बार छूना	12		
		8 बार छूना	14		
		9 बार छूना	16		
		10 बार छूना	20		
4.	(क) बैठक (पूर्णांक 10)	50 दो मिनट में	4		
		65 दो मिनट में	6		
		80 दो मिनट में	8		
		100 दो मिनट में	10		
	(ख) दण्ड (पूर्णांक 10) (दण्ड एवं बैठक के प्राप्तांक मिलाकर न्यूनतम 10 अंक प्राप्त करना अनिवार्य है)	25 चार मिनट में	4		
		35 चार मिनट में	6		
		50 चार मिनट में	8		
		75 चार मिनट में	10		
		5.	दौड़ व चाल (3 कि०मी०) (पूर्णांक 20)	20 मिनट में	10
				18 मिनट में	12
16 मिनट में	14				
14 मिनट में	16				
12 मिनट में	18				
		10 मिनट में	20		

(vii) लिखित प्रतियोगी परीक्षा हेतु पद के अनुसार पाठ्यक्रम:-

चयन के लिए 100 अंकों की 02 घण्टे की वस्तुनिष्ठ प्रकार (Objective Type with Multiple Choice) की एक लिखित परीक्षा होगी, जिसमें सामान्य हिन्दी, सामान्य ज्ञान व सामान्य अध्ययन (उत्तराखण्ड की जानकारी सहित) पर आधारित प्रश्न होंगे।

2. पदनाम-

फायरमैन(अग्निशामक)(पुरुष/महिला)

(i) रिक्तियों का विवरण एवं क्षेत्रीय आरक्षण की स्थिति :-

क्र० सं०	पद कोड	पदनाम/विभाग का नाम	श्रेणी	रिक्त पद	क्षेत्रीय आरक्षण के अन्तर्गत रिक्त पदों की संख्या				
					WO (30%)	DFP (02%)	Ex (05%)	Orphan (05%)	Others
1.	178/648/42/2021	फायरमैन (अग्निशामक) (पुरुष/महिला) (अग्निशमन एवं आपात सेवा विभाग)	अ०जा०	85	25	01	04	04	51
			अ०ज०जा०	17	05	—	—	—	12
			अ०पि०व०	62	19	01	03	03	36
			आ०क०व०	44	13	—	02	02	27
			सामान्य	237	71	04	11	11	140
			योग	445	133	06	20	20	266

(ii) वेतनमान:- रू० 21700-रू० 69100 (लेवल-03)

(iii) पद का स्वरूप:- अराजपत्रित/स्थायी/अंशदायी पेंशनयुक्त।

(iv) शैक्षिक अर्हता:- (क) माध्यमिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश/माध्यमिक शिक्षा परिषद् उत्तराखण्ड की इण्टरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण की हो।

(v) शारीरिक अर्हताएं:-

(क) महिला अग्निशामक (फायरमैन) के अभ्यर्थियों के लिये शारीरिक मानक नाप-जोख :-

(i) ऊँचाई:-

सामान्य/अन्य पिछडा वर्ग के लिए/अनुसूचित जाति हेतु	152 से०मी०
अनुसूचित जनजाति हेतु	147 से०मी०
पर्वतीय क्षेत्र हेतु	147 से०मी०

(ii) वजन- न्यूनतम 45 कि०ग्राम होना अनिवार्य है।

नोट: शारीरिक मानकों में छूट के लिए अनुमन्यता से संबंधित प्रमाण-पत्र (यथा अनुसूचित जनजाति या पर्वतीय क्षेत्र का प्रमाण-पत्र) धारित होना चाहिए।

पर्वतीय क्षेत्र का निर्धारण:- देहरादून: पूरी चकराता तहसील तथा राजपुर की ऊँचाई से ऊपर गंगा तथा यमुना नदियों के मध्य स्थित देहरादून तहसील के उत्तर तथा पूर्व में स्थित मसूरी पहाड़ी का क्षेत्र। नैनीताल तथा गढ़वाल, कोटद्वार सहित सब माउन्टेन सड़क के ऊपर का क्षेत्र पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चमोली, टिहरी गढ़वाल तथा उत्तरकाशी जिलों के संपूर्ण भाग।

नवसृजित जनपद बागेश्वर, रुद्रप्रयाग एवं चंपावत का संपूर्ण भाग भी इससे पूर्व में क्रमशः जनपद अल्मोड़ा, चमोली एवं पिथौरागढ़ का भाग होने के कारण पर्वतीय क्षेत्र माना जायेगा।

(iii) शारीरिक दक्षता :- शारीरिक मानक परीक्षा में सफल घोषित पात्र अभ्यर्थियों से शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायेगी। महिला अग्निशामक के लिए न्यूनतम शारीरिक दक्षता परीक्षण निम्न प्रकार है:-

क०सं०	इवेन्ट का नाम	दूरी/समय	अंक
1	क्रिकेट बॉल थ्रो (पूर्णांक 20)	16 मीटर	10
		20 मीटर	12
		24 मीटर	14
		28 मीटर	16
		32 मीटर	20
2	लम्बी कूद (पूर्णांक 20 अंक)	08 फिट	10
		09 फिट	12
		10 फिट	14
		11 फिट	16
		12 फिट	18
3	दौड़ 50 मीटर (पूर्णांक 20)	16 सेकेण्ड	10
		15 सेकेण्ड	12
		14 सेकेण्ड	14
		13 सेकेण्ड	16
		12 सेकेण्ड	18
4	शटल रेस (25 X 04 मीटर) (पूर्णांक 20)	11 सेकेण्ड	20
		29 सेकेण्ड	10
		28 सेकेण्ड	14
		27 सेकेण्ड	18
		26 सेकेण्ड	20
5	स्किपिंग (पूर्णांक 20)	55 बार 1 मिनट	10
		60 बार 1 मिनट	12
		65 बार 1 मिनट	14
		70 बार 1 मिनट	16
		75 बार 1 मिनट	18
		80 बार 1 मिनट	20

नोट:- उपरोक्त प्रत्येक स्पर्धा में महिला अभ्यर्थी को न्यूनतम मानक पूर्ण करना आवश्यक है।

(ख) फायरमैन (पुरुष) के अभ्यर्थियों के लिये शारीरिक मानक नाप-जोख :-

(i) ऊँचाई:-

सामान्य/अन्य पिछडा वर्ग और अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम	168 से०मी०
पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम	160 से०मी०
अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम	157.5 से०मी०

नोट: शारीरिक मानकों में छूट के लिए अनुमन्यता से संबंधित प्रमाण-पत्र (यथा अनुसूचित जनजाति या पर्वतीय क्षेत्र का प्रमाण-पत्र) धारित होना चाहिए।

(ii) सीने की माप

	बिना फुलाये	फुलाने पर
सभी वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए	81.3 से०मी०	86.3 से०मी०

नोट : सीने में कम से कम 05 से०मी० का फुलाव आवश्यक है।

23

(iii) शारीरिक दक्षता :- शारीरिक मानक परीक्षा में अर्ह पाए गये अभ्यर्थियों को निम्न विवरण के अनुसार शारीरिक दक्षता परीक्षा (पूर्णांक-100) में न्यूनतम 50 अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा तथा किसी भी इवेंट में 50 प्रतिशत से कम अंक पाने की दशा में अभ्यर्थी को उसी स्तर पर चयन प्रक्रिया से पृथक कर दिया जायेगा:-

क्र० सं०	इवेंट का नाम	दूरी/समय	अंक		
1	क्रिकेट बाल श्रो (पूर्णांक 20 अंक)	50 मीटर	10		
		55 मीटर	12		
		60 मीटर	14		
		65 मीटर	16		
		70 मीटर	20		
2	लम्बी कूद (पूर्णांक 20 अंक)	13 फिट	10		
		14 फिट	12		
		15 फिट	14		
		16 फिट	16		
		17 फिट	18		
		18 फिट	20		
3	चिनिंग-अप (बीम) (पूर्णांक 20 अंक) (अभ्यर्थी अन्डर ग्रिप/ओवर ग्रिप, जो चाहे कर सकता है।)	5 बार छूना	10		
		7 बार छूना	12		
		8 बार छूना	14		
		9 बार छूना	16		
		10 बार छूना	20		
4	(क) दण्ड (पूर्णांक 10) (दण्ड एवं बैठक के प्राप्तांक मिलाकर न्यूनतम अंक प्राप्त करना अनिवार्य है।)	25 चार मिनट में	4		
		35 चार मिनट में	6		
		50 चार मिनट में	8		
		75 चार मिनट में	10		
	(ख) बैठक (पूर्णांक 10)	50 दो मिनट में	4		
		65 दो मिनट में	6		
		80 दो मिनट में	8		
		100 दो मिनट में	10		
		5	दौड़ (03 कि०मी०) (पूर्णांक 20 अंक)	20 मिनट में	10
				18 मिनट में	12
16 मिनट में	14				
14 मिनट में	16				
12 मिनट में	18				
		10 मिनट में	20		

(vii) लिखित प्रतियोगी परीक्षा हेतु पद के अनुसार पाठ्यक्रम:-

चयन के लिए 100 अंकों की 02 घन्टे की वस्तुनिष्ठ प्रकार (Objective Type with Multiple Choice) की एक लिखित परीक्षा होगी, जिसमें सामान्य हिन्दी, सामान्य ज्ञान व सामान्य अध्ययन (उत्तराखण्ड की जानकारी सहित) पर आधारित प्रश्न होंगे।

03- लिखित प्रतियोगी परीक्षा -

(i) सामान्य व ओ०बी०सी० श्रेणी के अभ्यर्थियों को 45 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति श्रेणी अभ्यर्थियों को 35 प्रतिशत अंक लाना अनिवार्य हैं, अन्यथा वे लिखित परीक्षा में अनर्ह माने जायेंगे।

(ii) लिखित परीक्षा प्रश्न पत्र मूल्यांकन में प्रत्येक सही उत्तर का 1 अंक व प्रत्येक गलत उत्तर हेतु 1/4 ऋणात्मक अंक दिया जायेगा।

(iii) अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा की प्रश्न बुकलेट, परीक्षा के पश्चात् अपने साथ ले जाने की अनुमति दी जायेगी।

(iv) लिखित परीक्षा के ओ0एम0आर0 उत्तर पत्रक (O.M.R. Sheet) ट्रिप्लीकेट में होंगे। ओ0एम0आर0 उत्तर पत्रक की द्वितीय प्रति अलग से संरक्षित रखी जाएगी तथा तृतीय प्रति अभ्यर्थी को अपने साथ ले जाने की अनुमति होगी। प्रत्येक अभ्यर्थी उत्तर पत्रक की मूल प्रति एवं द्वितीय प्रति कक्ष निरीक्षक को अनिवार्य रूप से जमा करेंगे। ऐसा न करने पर संबंधित अभ्यर्थी का परिणाम शून्य किया जा सकेगा।

(v) गलत उत्तरों के लिए दण्ड— वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्रों में अभ्यर्थियों द्वारा दिये गये गलत उत्तरों के लिए दण्ड (ऋणात्मक मूल्यांकन) दिया जायेगा:—

(क) प्रत्येक प्रश्न के लिए चार विकल्प उत्तर है। अभ्यर्थी द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए दिये गए एक गलत उत्तर के लिए प्रश्न हेतु नियत किये गये अंकों का एक चौथाई दण्ड रूप में काटा जायेगा।

(ख) यदि अभ्यर्थी किसी भी प्रश्न का एक से अधिक उत्तर देता है, तो इसे गलत उत्तर माना जायेगा; यदि दिये गये उत्तरों में से एक उत्तर सही भी हो, फिर भी उस प्रश्न के लिए उपरोक्तानुसार ही उसी तरह का दण्ड दिया जायेगा।

(ग) यदि अभ्यर्थी द्वारा कोई प्रश्न हल नहीं किया जाता है, अर्थात् अभ्यर्थी द्वारा उत्तर नहीं दिया जाता है, तो उस प्रश्न के लिए कोई ऋणात्मक अंक नहीं दिया जायेगा।

(घ) ओ0एम0आर0 शीट में व्हाइटनर का उपयोग या विकल्पों को खुरचना/छेड़छाड़ आदि प्रतिबंधित है और इसके लिए भी ऋणात्मक अंक दिया जाएगा।

(च) अभ्यर्थी अपनी ओ.एम.आर. शीट में गलत रोल नं0. अथवा बुकलेट सीरीज अंकित करता है या कुछ भी अंकित न करता है तो उसकी ओ.एम.आर. शीट का मूल्यांकन नहीं किया जायेगा तथा अभ्यर्थी का अभ्यर्थन स्वतः निरस्त माना जायेगा।

(vi) लिखित परीक्षा ऑनलाईन (CBT) होने की स्थिति में पर प्रश्न-पत्र व दिये गये उत्तर यथाप्रक्रिया अभ्यर्थी को भेजे जायेंगे।

4- पदों का विकल्प चयन:— इस विज्ञापन में आरक्षी, पी0ए0सी0 व फायरमैन(महिला/पुरुष) के पदों का विज्ञापन किया जा रहा है। अभ्यर्थियों को इसमें से उपयुक्त पद के चयन का विकल्प लिखित परीक्षा के बाद प्राप्त अंकों के वरीयताक्रम के आधार पर अभिलेख सत्यापन के समय दिया जायेगा।

5- शारीरिक दक्षता व लिखित परीक्षा के लिए केन्द्र का चयन:— ऑनलाईन आवेदन पत्र में अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षण व लिखित परीक्षा के लिए परीक्षा केन्द्र का अलग-अलग विकल्प उपलब्ध होगा व अभ्यर्थी को दोनों में विकल्प चयन करना होगा। दोनों परीक्षा के लिए एक ही या अलग-अलग विकल्प भी अनुमन्य है।

6- आयु :- आयु गणना की निश्चायक तिथि 01 जुलाई, 2021 है। आरक्षी(पुरुष)/आरक्षी (पीएसी/आईआरबी)(पुरुष)/अग्निशामक(फायर मैन)(पुरुष) पद हेतु न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा

अधिकतम 22 वर्ष होगी। अग्निशामक फायर (महिला) पद हेतु न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा अधिकतम 25 वर्ष होगी। उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या: 191/XXX(2)/2021-30(10)/2019, दिनांक 26 जुलाई, 2021 के द्वारा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह 'ग' के पदों पर चयन वर्ष 2021-22 में अधिकतम आयु सीमा में 01 वर्ष की छूट प्रदान की गयी है। इस प्रकार आरक्षी/अग्निशामक(फायर मैन)(पुरुष) पद हेतु आयु गणना की निश्चयक तिथि 01 जुलाई, 2021 को अभ्यर्थी की आयु न्यूनतम 18 वर्ष तथा अधिकतम 23 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए तथा अग्निशामक फायर (महिला) पद हेतु आयु गणना की निश्चयक तिथि 01 जुलाई, 2021 को महिला अभ्यर्थिनियों की आयु न्यूनतम 18 वर्ष तथा अधिकतम 26 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

परन्तु यह कि

1- उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को शासनादेश संख्या: 1399 दिनांक 21 मई 2005 द्वारा अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य है।

2- उत्तराखण्ड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित अभ्यर्थियों के लिए शासनादेश सं0 1244 दिनांक 21 मई, 2005 द्वारा अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य है।

3- अधिसूचना संख्या: 6/1/72 कार्मिक-2 दिनांक 25 अप्रैल, 1977 के अनुसार उत्तराखण्ड के पूर्व सैनिकों को अपनी वास्तविक आयु में से सशस्त्र सेना में अपनी सेवा की अवधि कम करने की अनुमति दी जायेगी और यदि परिणामजन्य आयु इस पद/सेवा के निमित्त जिनके लिए वह नियुक्ति का इच्छुक हो विहित अधिकतम आयु सीमा से 03 वर्ष से अधिक न हो तो यह समझा जायेगा की वह उच्च आयु सीमा से सम्बन्धित शर्त को पूरा करता है।

4- सेना में वीरगति प्राप्त सैनिकों के परिवार के आश्रितों को सेना द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर शासनादेशों के अनुरूप अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट इस आधार पर प्रदान की जायेगी कि उसके द्वारा अन्यथा अधिकतम आयु सीमा में छूट प्राप्त न की गयी हो।

5- होमगार्ड जिन्होंने दिनांक 01.07.2021 को 03 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण कर ली हो, को सक्षम अधिकारी (जिला कमाण्डेण्ट होमगार्डस) द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट प्रदान की जायेगी। (केवल आरक्षी पुलिस एवं आरक्षी पी0ए0सी/आई0आर0बी0 हेतु अनुमन्य)

07. रिक्तियों के सापेक्ष लिखित परीक्षा में सफल घोषित अभ्यर्थियों की संयुक्त प्राप्तांक सूची (शारीरिक दक्षता परीक्षा एवं लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों को जोड़कर) के आधार पर विद्यमान आरक्षण नियमों, वरिष्ठता निर्धारण हेतु निर्धारित नियमों के दृष्टिगत प्रवीणता सूची तैयार की जायेगी। अभ्यर्थियों के समान अंक होने पर जिस अभ्यर्थी की आयु अधिक होगी, उसे वरिष्ठता कम में ऊपर रखा जायेगा। यदि दो अभ्यर्थियों की जन्मतिथि भी एक समान होती है तो ऐसी स्थिति में लिखित परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को वरिष्ठता प्रदान की जायेगी। लिखित परीक्षा में भी समान अंक होने पर शारीरिक दक्षता परीक्षा के अंक के आधार पर वरिष्ठता प्रदान की जायेगी। अन्तिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की सूची चयन आयोग की वेबसाईट में प्रकाशित की जायेगी

08. उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह 'ग' के सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती हेतु आवेदन करने के लिए वही अभ्यर्थी पात्र होगा, जिसने अपनी हाई स्कूल एवं इण्टरमीडिएट अथवा इनके समकक्ष स्तर की शिक्षा उत्तराखण्ड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थानों से प्राप्त की हो,

परन्तु यह कि सैनिक/अर्द्धसैनिक बलों में कार्यरत तथा राज्य सरकार अथवा उसके अधीन स्थापित किसी राजकीय/अर्द्धशासकीय संस्था में नियमित पदों पर नियमित रूप से नियुक्त कार्मिकों एवं केन्द्र सरकार अथवा केन्द्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों में नियमित पदों पर नियमित रूप से उत्तराखण्ड में कार्यरत ऐसे कर्मी, जिनकी सेवाएँ उत्तराखण्ड से बाहर स्थानांतरित नहीं हो सकती हों, स्वयं अथवा उनके पति/पत्नी, जैसी भी स्थिति हो, तथा उनके पुत्र/पुत्री राज्याधीन सेवाओं में समूह 'ग' के सीधी भर्ती के पदों पर चयन हेतु आवेदन के पात्र होंगे। राज्य के स्थायी निवासी जो उत्तराखण्ड के बाहर निवासरत हैं, के स्वयं अथवा उनके पति/पत्नी, जैसी भी स्थिति हो तथा उनके पुत्र/पुत्री भी समूह 'ग' के सीधी भर्ती के पदों पर आवेदन हेतु पात्र होंगे।

09. अनापत्ति प्रमाण-पत्र:-

जो अभ्यर्थी आवेदन करने की तिथि को सरकारी/अर्द्धसरकारी सेवा में हों, उन्हें विभागीय अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

10. राष्ट्रीयता :-

सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए आवश्यक है कि अभ्यर्थी :-

(क) भारत का नागरिक हो; या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास के आशय से पहली जनवरी, 1962 ई० से पूर्व भारत आया हो; या

(ग) भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति हो, जिसने भारत में स्थायी निवास के आशय से पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीकी देशों, केन्या, यूगांडा और यूनाईटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) से प्रवर्जन किया हो :

परन्तु यह कि उपयुक्त श्रेणी की (ख) या (ग) के अभ्यर्थी के लिए यह आवश्यक होगा कि वह राज्य सरकार से पात्रता का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर ले।

परन्तु यह है कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थियों से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस उप-महानिरीक्षक, अभिसूचना शाखा, उत्तराखण्ड से पात्रता का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लें;

परन्तु यह भी कि यदि अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण-पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जाएगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि से आगे सेवा में इस शर्त के अधीन रहते हुए रखा जाएगा कि उसने भारत की नागरिकता प्राप्त कर ली हो।

टिप्पणी:- ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण-पत्र आवश्यक हो, किन्तु न तो वह जारी किया गया हो और न देने से इन्कार किया गया हो, किसी परीक्षा में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त के अधीन रहते हुए अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण-पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।

11. चिकित्सा/स्वास्थ्य परीक्षण:-

अभ्यर्थी मेडिकल रूप से फिट होना चाहिए। दृष्टि एक आँख में 6/6 और दूसरी आँख में 6/9 से कम नहीं होनी चाहिए अर्थात् बिना चश्मे के दाहिने हाथ से काम करने वाले अभ्यर्थियों के लिये दाहिनी आँख के लिये 6/6 और बाँये हाथ से काम करने वाले अभ्यर्थियों की बायी आँख के लिये 6/6 होनी चाहिए। वर्ण-अन्धता/भँगापन से पूर्णरूप से मुक्त होना आवश्यक है। सटा घुटना, सपाट पैर, बो-लैंग, वैरिकोस वेन, हकलाना, विकलांगता और अन्य विकृतियों या समस्यायें जो आरक्षी/फायरमैन की ड्यूटी में किसी प्रकार की बाधा पैदा करें, को अयोग्यता माना जायेगा।

टिप्पणी:- चिकित्सा बोर्ड नाक-नी, बो लेग्स, पलैट फीट, वेरीकोस वेंस, दूर एवं निकट दृष्टि, कलर ब्लाइण्डनेस, श्रवण परीक्षण, जिसमें रि नेज परीक्षण, वेब्सर्स परीक्षण और वर्टिगो परीक्षण आदि समाविष्ट हैं, जैसी कमियों का भी परीक्षण करेगा।

12. बन्ध पत्र:- अन्तिम रूप से चिकित्सीय परीक्षण में सफल/चयनित अभ्यर्थियों से इस आशय का शपथ पत्र/बन्ध पत्र लिया जायेगा कि वे प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से 05 वर्ष तक सेवा में रहेंगे। यदि उनके द्वारा 05 वर्ष से पूर्व त्याग पत्र दिया जाता है अथवा उनके अनुरोध पर किसी दूसरी सेवा हेतु कार्यमुक्त किया जाता है तो नियमानुसार उनके प्रशिक्षण में व्यय धनराशि एवं प्रशिक्षण अवधि के दौरान उन्हें भुगतान किये गये स्टाईपेण्ड/वेतन की राशि का भुगतान उन्हें पुलिस विभाग को करना होगा।

13. चरित्र:-

सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो। चयन प्रक्रिया के दौरान भी यदि अभ्यर्थी का कार्य-व्यवहार उचित नहीं पाया जाता है, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त कर उनके विरुद्ध सम्यक् कार्यवाही की जायेगी। परीक्षा की शुचिता को बाधित करने के लिए नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही भी आयोग द्वारा की जायेगी।

14. वैवाहिक प्रास्थिति:-

सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र न होगा, जिसकी एक से अधिक पत्नी जीवित हों या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी, जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो, जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो। परन्तु यह कि राज्यपाल किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकते हैं, यदि उनका समाधान हो जाय ऐसा करने के विशेष कारण विद्यमान हैं।

15. आरक्षण:-

1. **ऊर्ध्व आरक्षण-** उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़ी जातियों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त राज्य सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का आरक्षण ऐसे अभ्यर्थियों को अनुमन्य है, जिन्हें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति या अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण प्राप्त नहीं है।

2. **क्षैतिज आरक्षण-** उत्तराखण्ड की महिला, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों, भूतपूर्व सैनिकों, अनाथ/प्रभावित बच्चों तथा होमगार्ड को क्षैतिज आरक्षण उत्तराखण्ड के प्राविधानों तथा समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्गत नियमों/शासनादेशों के अनुसार देय होगा। आवेदन पत्र के साथ आरक्षण संबंधी श्रेणी/उपश्रेणी का प्रमाण-पत्र अपलोड करना अनिवार्य है।

(i) "भूतपूर्व सैनिक" से उत्तराखण्ड का ऐसा अधिवासी अभिप्रेत है, जिसने भारतीय थल सेना, नौ सेना या वायु सेना में योद्धक या अनायोद्धक के रूप में सेवा की हो और जो-(एक) अपनी पेंशन अर्जित करने के पश्चात् ऐसी सेवा से सेवानिवृत्त हुआ है, या (दो) चिकित्सीय आधार पर, जैसा कि सैन्य सेवा के लिए अपेक्षित हो, ऐसी सेवा से निर्मुक्त किया गया है, या ऐसी परिस्थितियों, जो उसके नियंत्रण से बाहर हो, के कारण निर्मुक्त किया गया है और जिसे चिकित्सीय या अन्य योग्यता पेंशन दी गई है, या (तीन) जो ऐसी सेवा के अधिष्ठान में कमी किये जाने के फलस्वरूप, स्वयं की प्रार्थना के बिना, निर्मुक्त किया गया है या (चार) विशिष्ट निर्धारित अवधि पूर्ण करने के पश्चात् ऐसी सेवा से निर्मुक्त किया गया है, किन्तु अपनी स्वयं की प्रार्थना पर निर्मुक्त नहीं किया गया है, या दुराचरण या अदक्षता के कारण पदच्युत या सेवा मुक्त नहीं किया गया है और जिसे ग्रेच्युटी प्रदान की गयी है और इसमें टेरीटोरियल

आर्मी के निम्नलिखित श्रेणी के कार्मिक भी हैं— (एक) निरन्तर संगठित सेवा के लिए पेंशन पाने वाले, (दो) सैन्य सेवा के कारण चिकित्सीय अपेक्षाओं में अयोग्य व्यक्ति, और (तीन) शौर्य पुरस्कार पाने वाले। (चार) जो अभ्यर्थी आरक्षण की जिस श्रेणी में आवेदन करेगा उसका परिणाम उसी श्रेणी या उपश्रेणी में घोषित किया जायेगा, जब तक कि वह Open Category की मेरिट में स्थान प्राप्त न करे। अभिलेख सत्यापन समय आवेदन पत्र भरे जाने की अन्तिम तिथि तक का आरक्षित श्रेणी/उपश्रेणी संबंधी प्रमाण—पत्र अभिलेख सत्यापन के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

नोट:— 1— भारत सरकार के O.M. N0. 36034/6/90-Estt.(SCT) दिनांक 02 अप्रैल 1992 के संदर्भ में शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि "the ex-servicemen candidates who have already secured employment under the State Govt. in Groups C & D will be permitted the benefit of age relaxation as prescribed for ex-servicemen for securing another employment in a higher grade or cadre in Group C/D under the State Govt. However, such candidates will not be eligible for the benefit of reservation for ex-servicemen in State Govt. jobs."

2— भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों को निर्धारित क्षैतिज आरक्षण या उनके आश्रित के रूप में किसी भी प्रकार की छूट या आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं है।

(ii) "स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित" से तात्पर्य स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के (एक) पुत्र और पुत्री (विवाहित या अविवाहित) (दो) पौत्र (पुत्र का पुत्र) और पौत्री (पुत्र की पुत्री)(विवाहित या अविवाहित) (तीन) पुत्री के पुत्र/पुत्री से है।

नोट:—

1. शासनादेशों के नवीनतम प्राविधानों के अनुसार उत्तराखण्ड के अनुसूचित जाति के लिए स्वीकृत कुल संवर्गीय पदों का 19%, उत्तराखण्ड के अनुसूचित जनजातियों के लिए स्वीकृत कुल संवर्गीय पदों का 04%, उत्तराखण्ड के अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए स्वीकृत कुल संवर्गीय पदों का 14% तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए स्वीकृत कुल संवर्गीय पदों का 10% ऊर्ध्व आरक्षण अनुमन्य है। विज्ञप्ति में नियोक्ता विभाग से रीस्टर के अनुरूप प्राप्त आरक्षण दिया गया है।
2. शासनादेशों के नवीनतम प्राविधानों के अनुसार उत्तराखण्ड की महिला के लिए 30 (केवल फायरमैन के पदों हेतु अनुमन्य), उत्तराखण्ड के भूतपूर्व सैनिक के लिए 05%, उत्तराखण्ड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित के लिए 02%, होमगार्ड के लिए 5% (केवल आरक्षी पुलिस व आरक्षी पी0ए0सी0/आई0आर0बी0 के पदों हेतु अनुमन्य) तथा अनाथ बच्चों हेतु 05% क्षैतिज आरक्षण अनुमन्य होगा।
3. यदि अभ्यर्थी एक से अधिक उपश्रेणी में आरक्षण का दावा करता है तो वह केवल एक उपश्रेणी, जो उसके लिए अधिक लाभदायक होगी, का लाभ पाने का पात्र होगा।
4. आरक्षण का लाभ संबंधित आरक्षण श्रेणी का वैध प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करने पर ही मिलेगा।

16. ऑनलाइन आवेदन किए जाने हेतु प्रक्रिया:—

1. आवेदकों द्वारा UKSSSC की वेबसाइट www.sssc.uk.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा। आवेदन का कोई अन्य साधन/मोड स्वीकार नहीं किया जाएगा।
2. आवेदकों को पहले UKSSSC की वेबसाइट पर जाना होगा और "OTR" लिंक पर क्लिक कर अपना One Time Registration Profile बनाना अनिवार्य होगा।

3. उम्मीदवारों को यूजर नेम बनाने के लिए वैध ई-मेल आईडी और मोबाइल नंबर होना आवश्यक है।
4. उम्मीदवार को OTR प्रोफाइल में दी गई सभी सूचनाओं को ध्यान से भरना होगा और इसे सेव करना होगा।
5. उम्मीदवार को हाल की तस्वीर और हस्ताक्षर की इमेज को स्कैन कर अपलोड करना होगा।
 - फोटो का साइज (पासपोर्ट साइज) (अधिकतम 50 केबी)
 - स्कैन की हुई हस्ताक्षर का साइज (अधिकतम 50 केबी)
 - बाँये अंगूठे का निशान (अधिकतम 50 केबी)
6. यूजर नेम के साथ लॉगिन होने के बाद उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन लिंक के तहत सक्रिय विज्ञापन देख सकते हैं। "आवेदन के लिए यहाँ क्लिक करें" लिंक सक्रिय विज्ञापनों के साथ उपलब्ध हैं।
7. "आवेदन के लिए यहाँ क्लिक करें" लिंक पर क्लिक करने पर OTR उम्मीदवार की योग्यता विज्ञापन में लिखित आवश्यक पात्रता मानदंडों से मिलान करता है। यदि उम्मीदवार पात्रता को पूरा नहीं करता है तो अयोग्यता का उचित संदेश सिस्टम द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ऐसे में यदि अभ्यर्थी योग्यता धारित करते हैं तो उन्हें पहले OTR को संशोधित करना होगा।
8. केवल पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले उम्मीदवार का आवेदन ही सिस्टम द्वारा स्वीकार किए जाएंगे।
9. उम्मीदवार आवेदन Submit होने के बाद अपने आवेदन में बदलाव नहीं कर सकते।
10. उस उम्मीदवार के आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा जिसके आवेदन के शुल्क का भुगतान नहीं किया गया है।
11. UKSSSC द्वारा निर्धारित शुल्क का भुगतान निम्नलिखित साधनों द्वारा किया जा सकता है:-
 - नेट बैंकिंग
 - डेबिट कार्ड
 - क्रेडिट कार्ड
 - सीएससी केंद्र

17. शुल्क:-

कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या: 332/XXX(2)/2021/55(35)/2003 दिनांक 03 अक्टूबर, 2021 द्वारा 31.03.2022 तक सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु जारी विज्ञापनों के सापेक्ष अभ्यर्थियों से आवेदन शुल्क न लिये जाने का निर्णय लिया गया है।

18. आवेदन पत्र भरने से पूर्व निम्न महत्वपूर्ण निर्देशों व शर्तों को पढ़ें:-

(1) OTR तथा आवेदन पत्र सावधानीपूर्वक भरना एक महत्वपूर्ण कार्य है। OTR भरने के पूर्व आयोग की वेबसाइट पर OTR भरने से संबंधित दिये गये प्रश्नोत्तरों (FAQ) को अवश्य देखें जिससे OTR भरने में छोटी-छोटी त्रुटियां न हों। अभ्यर्थी, पद के लिए निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक अर्हता, सेवायोजन पंजीकरण की वैधता, आरक्षण की श्रेणियां व उपश्रेणियां आदि को सावधानी पूर्वक पढ़कर ही OTR तथा आवेदन पत्र भरें, क्योंकि आनलाईन फार्म में बिना प्रमाण-पत्रों/संलग्नकों के सन्निरीक्षा की जानी संभव नहीं है। इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पर अन्तिम चयन के बाद भी अभ्यर्थन निरस्त हो सकता है। साईबर कैंफे से आवेदन भरने वाले अभ्यर्थी शुल्क जमा करने से पूर्व अपना आवेदन पत्र सावधानी



पूर्वक पढ़ें। यदि आवेदन में कोई त्रुटि है तो OTR में Edit विकल्प लें। आवेदन पत्र भरने के बाद Final Submit बटन क्लिक करने से पूर्व अभ्यर्थी अपने द्वारा भरी गई प्रविष्टि को संशोधित कर सकते हैं। एक बार Final Submit हो जाने के उपरांत इस आवेदन-पत्र के लिए OTR या आवेदन पत्र में कोई संशोधन संभव नहीं है। आवेदन पत्र में किसी भी त्रुटि के लिए आवेदक जिम्मेदार है तथा आवेदन पत्र अंतिम रूप से भरे जाने के बाद इसमें संशोधन स्वीकार नहीं किया जायेगा। OTR में अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, श्रेणी, आधार नम्बर, मोबाइल नम्बर को यदि अभ्यर्थी द्वारा गलत भरा जाता है, तो अभ्यर्थी द्वारा “MY REQUEST” Button को Click कर संशोधन हेतु request भेजी जा सकती है, जिसे आयोग स्तर से Approve किया जायेगा व इस प्रक्रिया से अभ्यर्थी की details स्वयं update हो जायेंगी।

(2) अभ्यर्थी उर्ध्व एवं क्षैतिज आरक्षण से सम्बन्धित श्रेणी/उप श्रेणी का अंकन OTR तथा ऑनलाइन आवेदन पत्र में अवश्य करें। आरक्षण का दावा न किये जाने की दशा में, रिट् याचिका (स्पेशल अपील) संख्या:-79/2010 राधा मित्तल बनाम उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग में मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.06.2010 तथा विशेष अनुज्ञा याचिका (सिविल) नं0 (एस)19532/2010 में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश के क्रम में अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ कदापि अनुमन्य नहीं होगा। आरक्षण विषयक प्रमाण-पत्र आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि तक अभ्यर्थी द्वारा अवश्य धारित करना आवश्यक है। वर्तमान में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए भी आरक्षण अनुमन्य किया गया है। इस श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थी भी आवेदन की अंतिम तिथि तक संगत प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लें।

(3) अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि वह ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने की तिथि या आवेदन की अन्तिम तिथि तक अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएं एवं अन्य वांछित समस्त अर्हताएं अवश्य धारित करते हों। सभी प्रकार के पूर्ण ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि को नियत समय तक अभ्यर्थी को “ONLINE APPLICATION” प्रक्रिया में “Submit” बटन को “Click” करना अनिवार्य है। तत्पश्चात नियत अवधि तक परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करना है, तभी आवेदन प्रक्रिया पूर्ण मानी जाएगी।

(4) अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन-पत्र तथा अन्य अभिलेखों की प्रिन्टआउट प्रति भविष्य में आयोग से किये जाने वाले पत्राचार व अन्य आवश्यक उपयोग/साक्ष्य हेतु अपने पास सुरक्षित रखें। यदि अपने अभ्यर्थन या अन्य मामलों में अभ्यर्थी कोई आपत्ति प्रस्तुत करें, तो आवेदन पत्र आदि अभिलेख अनिवार्य रूप से संलग्न करें।

(5) उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार किसी भी अभ्यर्थी द्वारा OTR तथा आवेदन पत्र में गलत तथ्यों का प्रकटीकरण जिनकी वैध प्रमाण-पत्रों के आधार पर पुष्टि न हो या फर्जी प्रमाण पत्रों (शैक्षिक योग्यता/अनुभव/आरक्षण सम्बन्धी) के आधार पर आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया हो, ऐसे अभ्यर्थियों को आयोग की समस्त परीक्षाओं से अधिकतम् 03 वर्षों के लिए प्रतिवारित कर दिया जायेगा साथ ही सुसंगत विधि के अन्तर्गत ऐसे अभ्यर्थियों के विरुद्ध अभियोग भी दर्ज कराया जा सकता है।

(6) परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे परीक्षा में प्रवेश हेतु पात्रता की सभी शर्तों को पूरा करते हैं। परीक्षा के सभी स्तरों पर उनका प्रवेश पूर्णतः अनन्तिम होगा। अभ्यर्थी को मात्र प्रवेश-पत्र जारी किए जाने का यह अर्थ नहीं होगा कि उसका अभ्यर्थन आयोग द्वारा अंतिम रूप से सुनिश्चित कर दिया गया है। यदि अभिलेख सत्यापन के चरण तक किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी अर्ह नहीं था अथवा उसका आवेदन पत्र

अस्वीकृत किया जाना चाहिए था अथवा वह प्रारम्भिक स्तर पर ही स्वीकार किए जाने योग्य नहीं था तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा और यदि वह अंतिम रूप से चयनित हो जाता है तो भी आयोग की संस्तुति वापस ले ली जाएगी।

(7) OTR तथा ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने के उपरान्त आवेदन में की गयी प्रविष्टियों यथा अर्हता, आरक्षण से सम्बन्धित श्रेणी/उप श्रेणी, आयु एवं परीक्षा केन्द्र या अन्य किसी बिन्दु पर किसी भी प्रकार का संशोधन या परिवर्तन का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(8) ऑनलाइन आवेदन भरने के पूर्व विज्ञापन में वर्णित समस्त निर्देशों का भली-भाँति अध्ययन कर लें तथा ऑनलाइन आवेदन पत्र को सही-सही भरें। आयोग में ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत कर दिए जाने के उपरान्त मूल आवेदन पत्र में दर्शाए गए विवरणों/प्रविष्टियों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन किसी भी दशा में अनुमन्य नहीं होगा।

(9) अभ्यर्थी अपने OTR प्रोफाइल कभी भी भर सकते हैं। एक बार OTR प्रोफाइल भरने के बाद प्रत्येक आवेदन-पत्र में उनका यह डेटा स्वतः आ जायेगा तथा उन्हें बार-बार विस्तृत आवेदन-पत्र नहीं भरना होगा। ऑनलाइन आवेदन करने हेतु अन्तिम तिथि की प्रतीक्षा न करें, बल्कि उससे पर्याप्त समय पूर्व ही अपना ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करना सुनिश्चित करें। आवेदन के समय के अंतिम दिनों में इससे वेबसाइट पर अतिरिक्त भार आता है व इससे अभ्यर्थी भी आवेदन पत्र भरने से वंचित हो सकते हैं।

(10) आयोग द्वारा सम्पन्न की जाने वाली सम्पूर्ण चयन प्रक्रिया पद की संगत सेवानियमावली एवं अद्यतन प्रचलित अधिनियमों/नियमावलियों/मैनुअल्स/मार्ग-दर्शक सिद्धान्तों एवं समय-समय पर आयोग द्वारा लिये गये निर्णय इत्यादि में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत सम्पन्न की जायेगी।

(11) आयोग अभ्यर्थियों को उनकी पात्रता के सम्बन्ध में कोई परामर्श नहीं देता है। इसलिये अभ्यर्थी विज्ञापन का सावधानीपूर्वक अध्ययन करें और तभी आवेदन करें जब वे संतुष्ट हो कि वे विज्ञापन की शर्तों के अनुसार अर्ह हैं। अभिलेख सत्यापन के समय अभ्यर्थी की शैक्षिक व अन्य अनिवार्य अर्हताओं को सेवा नियमावली के प्राविधानों के अनुरूप ही देखा जायेगा, नियमावली से अलग अर्हता धारण करने वाले अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। अधिवयस्क, अल्पवयस्क तथा शैक्षिक अर्हता के आधार पर अनर्ह होने अथवा नियमों, प्रक्रिया आदि के उल्लंघन के कारण अस्वीकृत किये जाने वाले आवेदन-पत्रों के मामलों में आयोग द्वारा कोई शुल्क वापस नहीं किया जायेगा।

(12) आयोग द्वारा OTR की नई व्यवस्था में अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम तथा जन्म तिथि हाईस्कूल प्रमाण पत्र के अनुरूप अंकित करने की व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक अभ्यर्थी को अपना अलग मोबाइल नम्बर व ई-मेल भी देना अनिवार्य है। यदि अभ्यर्थी के पास अपना स्वयं का मोबाइल नहीं है तो वे अपने परिवार के सदस्यों के मोबाइल नम्बर अंकित करें जो आयोग से प्राप्त होने वाले संदेश व अन्य जानकारियां तुरंत प्राप्त करने में सुगम रहे। जन्मतिथि हेतु उक्त प्रमाण-पत्र के अतिरिक्त अन्य कोई अभिलेख मान्य नहीं होगा।

(13) यदि कोई अभ्यर्थी अपनी श्रेणी हेतु निर्धारित शुल्क से कम शुल्क जमा करता है तो उसका आवेदन पत्र निरस्त/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा।

(14) लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश-पत्र डाक द्वारा प्रेषित नहीं किये जायेंगे अपितु आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर प्राप्त किए जा सकेंगे। इस संबंध में अभ्यर्थियों की सूचना हेतु विज्ञप्ति दैनिक समाचार पत्रों में एवं वेबसाइट पर प्रसारित की जाएगी।

(15) वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पत्रों से संबंधित उत्तर कुंजी/कुंजियों को परीक्षा समाप्ति के उपरान्त आयोग की वेबसाइट पर प्रसारित कर दिया जायेगा। अभ्यर्थी उत्तर कुंजी के प्रसारित किये जाने के 07 दिनों के भीतर प्रश्नपत्र एवं संबंधित उत्तर के संबंध में अपना प्रत्यावेदन ऑनलाईन प्रस्तुत कर सकते हैं। इस अवधि के उपरान्त प्राप्त प्रत्यावेदनों पर आयोग द्वारा कोई विचार नहीं किया जायेगा

(16) परीक्षा केन्द्र परिसर में परीक्षा के दौरान अभ्यर्थी को फोटो कैमरा, कैल्कुलेटर, मोबाईल फोन, पेजर, स्कैनर पेन अथवा किसी भी प्रकार के संचार यंत्र अथवा किसी भी इलैक्ट्रॉनिक उपकरण के प्रयोग की अनुमति नहीं है। यदि वे इन अनुदेशों का उल्लंघन करते पाए जाते हैं तो उन पर उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा भविष्य में आयोजित की जाने वाली इस अथवा सभी परीक्षाओं में सम्मिलित होने पर रोक सहित अन्य कार्यवाही की जा सकती है। अभ्यर्थियों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा स्थल पर फोटो कैमरा, मोबाइल फोन, पेजर, स्कैनर पेन अथवा किसी भी प्रकार के संचार यंत्र अथवा किसी भी इलैक्ट्रॉनिक उपकरण सहित किसी प्रकार कि प्रतिबन्धित सामग्री न लाएं क्योंकि उनकी सुरक्षा का प्रबन्ध नहीं किया जा सकता है।

(17) अनुचित साधन सख्ती से प्रतिबन्धित:- परीक्षा कक्ष में कोई भी अभ्यर्थी किसी भी अन्य अभ्यर्थी की उत्तर पुस्तिका से न तो नकल करेगा, न ही नकल करवायेगा और न ही किसी अन्य तरह की अनुचित सहायता देगा, न ही सहायता देने का प्रयास करेगा, न ही सहायता प्राप्त करेगा और न ही प्राप्त करने का प्रयास करेगा।

(18) परीक्षा भवन में आचरण:- कोई भी अभ्यर्थी परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार न करें, अव्यवस्था ना फैलाएं तथा परीक्षा संचालन हेतु आयोग द्वारा तैनात स्टाफ को परेशान ना करें। ऐसे किसी भी दुराचरण के लिए कठोर दण्ड दिया जाएगा। परीक्षा की समाप्ति के उपरान्त उत्तर पुस्तिका (OMR) की मूल व द्वितीय प्रति कक्ष निरीक्षक को सौंपकर ही परीक्षा कक्ष के बाहर जाएं। यदि अभ्यर्थी मूल या द्वितीय प्रति कक्ष निरीक्षक को न देकर स्वयं ले जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी का परिणाम शून्य किया जा सकेगा।

(19) केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अथवा उनके नियंत्रणाधीन कार्यरत अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्रों के सत्यापन के समय अपने सेवा नियोजक का 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' मूल रूप में तथा स्वप्रमाणित छायाप्रति प्रस्तुत करनी होगी।

(20) कदाचार के दोषी पाये गए अभ्यर्थियों के विरुद्ध कार्यवाही:- अभ्यर्थियों को सचेत किया जाता है कि आवेदन करते समय न तो कोई झूठे विवरण प्रस्तुत करें और न ही किसी महत्वपूर्ण सूचना को छिपाएं। उन्हें यह भी चेतावनी दी जाती है कि वे अपने द्वारा प्रस्तुत किसी प्रलेख या उसकी अनुप्रमाणित/प्रमाणित प्रति की किसी प्रविष्टि में कोई शोधन या परिवर्तन या अन्यथा फेरबदल नहीं करें तथा न ही वे फेरबदल किया गया/जाली प्रलेख प्रस्तुत करें। यदि दो या दो से अधिक दस्तावेजों के बीच अथवा उनकी अनुप्रमाणित/प्रमाणित प्रतियों में कोई असंगति या विसंगति हो तो इस विसंगति के बारे में अभ्यर्थी को स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना चाहिए। परीक्षा कक्ष में प्रतिबन्धित सामग्री ले जाने, अनुचित साधनों के प्रयोग करने, अनुचित आचरण करने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त करने के साथ ही उन्हें आयोग की परीक्षाओं के लिए प्रतिबन्धित करने व उनके विरुद्ध अन्य विधिक कार्यवाही भी की जायगी। परीक्षा के उपरांत चयन के अन्य चरणों में भी अभ्यर्थियों द्वारा की गई अनुशासनहीनता उनके अभ्यर्थन को निरस्त करने हेतु आधार बनेगी।

(21) आवेदित पद पर अन्तिम रूप से चयनित हो जाने के बाद भी अभ्यर्थी को नियुक्ति की संस्तुति का कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होता है जब तक कि आयोग को ऐसी जांच करने के पश्चात्

जैसा आवश्यक समझा जाय, यह समाधान न हो जाये कि वह नियुक्ति के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त है।

(22) परीक्षा केन्द्रों के लिए यद्यपि अभ्यर्थी से प्राथमिकता ली जाती है, तथापि परीक्षा की गोपनीयता/शुचिता के दृष्टिगत या अन्य व्यावहारिक कठिनाइयों के दृष्टिगत इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। अतः परीक्षा केन्द्र निर्धारण हेतु आयोग का निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।

(23) लिखित प्रतियोगी परीक्षा में प्राप्त अंको से वरिष्ठता निर्धारित की जाएगी। दो या उससे अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक प्राप्त करने की स्थिति में आयु के आधार पर वरिष्ठता का निर्धारण होगा।

(24) अभ्यर्थियों को परीक्षा से सम्बन्धित समस्त सूचनाएं वेबसाइट के माध्यम से अवगत करायी जायेगी। अतः अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट www.sssc.uk.gov.in का समय-समय पर अवलोकन करना सुनिश्चित करें।

(25) विज्ञापन की आरक्षण तालिका में प्रयुक्त संक्षिप्त शब्दों को निम्नानुसार पढ़ा जाय—

आ0क0व0— आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग

Wo- महिला अभ्यर्थी

DFP- स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित


Ex- भूतपूर्व सैनिक

H.G.- होमगार्ड

Orphan- अनाथ बच्चे

(26) इस विज्ञापित द्वारा प्रारम्भ की गई चयन प्रक्रिया में पदों की संख्या आवश्यकता के अनुरूप घटाई या बढ़ाई जा सकती है। परीक्षा का पाठ्यक्रम तथा परीक्षा में अभ्यर्थन से संबंधित अन्य शर्तें व पात्रतायें स्पष्ट हैं। इन्हें भलीभाँति देखकर आवेदन करें। आवेदन-पत्र भर जाने का अर्थ है कि अभ्यर्थी इन सभी बातों को स्वीकार करता है। इसके बाद चयन प्रक्रिया के अगले चरणों में इन शर्तों, पात्रताओं व पाठ्यक्रम आदि पर आपत्ति स्वीकार नहीं की जायेगी तथा इसे चयन प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला समझा जायेगा।

(27) आयोग द्वारा अब ऑफलाइन परीक्षा के साथ-साथ ऑनलाइन (Computer based test) परीक्षाओं की भी तैयारी की जा रही है। अतः यह परीक्षा ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों में से किसी एक प्रक्रिया से सम्पन्न कराई जा सकती है।


(संतोष बडोनी)

सचिव